Chapter 4

bihar board class 9th civics notes – चुनावी राजनीति

चुनावी राजनीति

अध्याय की मुख्य बातें–लोकतंत्र में एक नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया है। इसकी सफलता के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों का पालन आवश्यक है सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए तथा सभी के मतों का समान महत्व हो । चुनाव में विकल्प की गुंजाइश हो, चुनाव नियमित अंतराल पर ही अपनी इच्छानुसार लोग जिसे चाहे उनका चुनाव करें और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न हो । राजनीतिक, प्रतिस्पर्धा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी हितकर है।

चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग-अलग चुनाव होते हैं जिसे आम चुनाव कहते हैं। जब सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सीट खाली होती है तो इसे उपचुनाव कहते हैं। कोई सरकार अल्पमत होने के कारण लोकसभा या किसी विधान सभा में विश्वास हासिल करने में असफल हो जाती है तो वैसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव होता है। तब यह मध्यावधि चुनाव आम चुनाव बन जाता है।

चुनाव के उद्देश्य से देश को जनसंख्या के हिसाब से कई क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के लिए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को आधार बनाया जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। लोकसभा क्षेत्र में चुने गये प्रतिनिधियों को संसद सदस्य या सांसद कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी निर्धारित विधान सभा के सीटों के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट गया है। इनके प्रतिनिधि को
विधायक या एम. एल. ए. कहते हैं।

संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की गई। लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है । बिहार विधानसभा की 37 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यह आरक्षण की व्यवस्था
सभी राज्यों में लागू है। बिहार में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले नागरिकों की सूची बनायी जाती है जिसे मतदाता
सूची कहते हैं भारतवर्ष में 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है पर ठोस प्रमाण के आधार पर रूपराधी एवं दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित भी किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र
को व्यवस्था लागू की गई है जिन्हें यह नहीं बन पाया है उन्हें पहचान के तौर पर 14 अन्य पहचानों को वैध माना है या मतदाता का राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ।

चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्ता होनी चाहिए हालाँकि अपराधियों को उम्मीदवार होने पर सीमित पाबंदी है। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हैं और अपना चिह्न एवं समर्थन देते हैं तब जाकर उम्मीदवारों को नामांकन भरना पड़ता है। इसके साथ जमानत के रूप में कुछ रकम जमा करनी पड़ती है तथा प्रत्येक उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए घोषणा करनी पड़ती है।

चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दल एवं मतदाता स्वतंत्र एवं खुली बहस में शामिल होते हैं। इसके दौरान राजनीतिक दल नारे लगाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जैसे 1971 में कांग्रेस पार्टी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। पर राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार मैं आदर्श-आचारसंहिता को स्वीकार करना

https://www.evidyarthi.in/

पड़ता है। इसके आखिरी चरण में मतदान होता है। इसको समाप्ति के बाद मतगणना की जाती है और सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है।
भारतीय संविधान ने चुनावी निष्पक्षता की जाँच के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। जिसे न्यायपालिका के समान आजादी प्राप्त है। इसके मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं जो भारत में चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है।

evidyarthi

https://www.evidyarthi.in/